# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 33/2025 बउनवानी देवीलाल **बनाम** लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर ,स0मा0
पुत्र सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाईमाधोपुर

**GCMS No-2025/ 120**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | न ता अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ |
|---|---|---|
| **27.5.2025** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 01.03.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *नाहरी कलां तहसील चौथ का बरवाडा की राजस्व सीमा मे सन् 1963 से 1966 तक की गयी कृषि भूमि आवंटन आदेश एवं प्रोसेडिंग रजिस्टर की प्रमाणित प्रति"* उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.सू0का0अ0/2024/836 दिनांक 21.5.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 1.3.2025 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ख0न0, व्यक्ति का नाम इत्यादि अंकित नही करने के कारण अपीलान्ट को सूचना दिया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक क्रमांक सू.का.अ./2025/872 दिनांक 21.4.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण, यथा ख0न0, आवंटन दिनांक, व्यक्ति का नाम इत्यादि अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नही है। जिसमे संबंध मे अपीलान्ट को नियत समयावधि मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>(शुभम चौधरी)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Shubham Chaudhary<br>Date: 2025.06.25 18:12:38 IST<br>Reason: SelfAttested | |